अनुसूची 4

। विनियम 5(3)(ii) देखें ।

अप्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित
निगमित निकाय द्वारा शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों का क्रय और विक्रय

1. कतिपय कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों की खरीद पर प्रतिबंध

इस योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के खेयरों अथवा परिवर्तनीय छिबेंचरों की खरीद नहीं की जायेगी यदि वह चिट फंड हो अथवा निधि कंपनी हो अथवा कृषि/बागवानी कार्यों अथवा वास्तविक संपदा कारबार अथवा फार्म हाउसों के निर्माण में ंलग्न हो अथवा विकास अधिकारों के अंतरण का कार्य करती हो ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए स्थावर संपदा कारबार में शहरों का विकास,
आवासीय / वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों, पुलों, आदि का निर्माण शामिल नहीं होगा ।

2. किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंरिरें की
खरीद और / अथवा बिक्री हेतु अनुमति

उपर्युक्त पैरा 1 के अधीन कोई अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय बिना किसी सीमा के अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंरिरें खरीद सकता है िंहे वे सार्वानिक निर्गम द्वारा अथवा निजी अथवा अधिकार (राइट) निर्गम द्वारा जारी किये गये हों ।

3. शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचारों की खरीद के लिए भुगतान का तरीका

अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंरिरें की खरीद के लिए प्रतिफल की राशि की अदायगी विदेश से सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक विप्रेषण से अथवा प्राधिकृत व्यापारी अथवा भारत में किसी प्राधिकृत बैंक में, जैसा भी मामला हो, खोले गये खोले गये एनआरई /एफसीएनआर /एनआरओ /एनआरएनआर /एनआरएसआर खातें में धारित निधियों में से की जायेगी ।

बशर्तें, नेपाल और भूटान मे रह रहे किसी अनिवासी भारतीय/विदेश स्थित निगमित निकाय के मामले में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी से खरीदे गये शेयरों अथवा परिवर्तनीय

डिबेंरिरें की खरीद के लिए प्रतिफल की राशि की अदायगी सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण में से ही की जायेगी ।

4. शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की बिक्री / परिवक्वता से प्राप्त राशियां

i) इस योजना के अंतर्गत बेरिंट गये शेयरों की बिक्री अथवा परिवर्तनीय डिबेंरिरें की परिपक्वता राशि (लागू करों को घटाकर) ऐसे मामलों में केवल एनआरएसआर खाते में ही जमा की जायेगी जहां क्रय-प्रतिफल का भुगतान एनआरएसआर खाते में धारित निधियों में से किया गया हो तथा जहां क्रय-प्रतिफल की अदायगी एनआरई /एफसीएनआर /एनआरओ /एनआरएनआर खातें में धारित निधियों अथवा आवक विप्रेषण में से की गई हो, वहां विक्रेता के विकल्प पर उसे एनआरओ अथवा एनआरएसआर खाते में जमा किया जायेगा ।

ii) इस योजना के अंतर्गत शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेशित राशि और उस पर पूंजी वृद्धि के विदेश में प्रत्यावर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी ।